

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

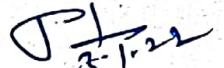
कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री / श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10 / 20 / 30 / वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम / द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे / पे-लेवल
1	सुनिल दत्त शर्मा, राउमावि फुलवाडा, पं.स. हिण्डोन सिटी, जिला-करोली	से०नि० प्रधानाचार्य	01-04-1960	05-02-1985	30	04-02-2015	05-02-2015	6800/-

नोट :-

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।


(काना राम)

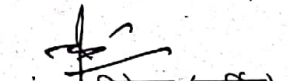
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 03/01/2022

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-4/सुनिल दत्त/2021/34
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा, करोली
- 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं०स० हिण्डोन सिटी जिला करोली।
- 3 प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवाडा, प.स. हिण्डोन सिटी जिला-करोली।
- 4 श्री सुनिल दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स. हिण्डोन सिटी, जिला-करोली।
- 5 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर